

(92)

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

प्रदीप कुमार, भा०प्र०से०,

सचिव:

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक: 14/01/2015

विषय : राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना अंतर्गत अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केन्द्रों (BRC) की स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रथम चरण में अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड स्तर पर तथा ऐसे जिले जहाँ जिला पंचायत प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान पूर्व से स्थापित/अधिसूचित हैं (कुल बीस जिला) में एक अतिरिक्त प्रखंड संसाधन केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रावधान वर्ष 2014-15 की कार्य योजना में किया गया है। प्रति BRC की स्थापना हेतु कुल ₹10,00,000/- (दस लाख) की राशि अनुमोदित की गई है।

1. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के सभी अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंडों में पूर्व से स्थित ऐसे भवन जिरामें 30-35 प्रतिभागियों की बैठने की क्षमता का एक हॉल/कमरा, दो अन्य कक्ष कार्यालय हेतु तथा महिला एवं पुरुषों को अलग-अलग सौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो तथा विद्युतीकरण/लाइट आदि की भी सुविधा है को विनित्त पर BRC की स्थापना हेतु की जाये तथा इसकी सूची दिनांक 30 जनवरी, 2015 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

2. BRC सह BPMU का कार्य- BRC सह BPMU का उपयोग ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। यह प्रशिक्षण जिले के मास्टर रिसोर्स परसन तथा जिला रिसोर्स परसन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर दिया जाएगा। प्रशिक्षण आयोजन हेतु संबंधित बजट एवं भागदर्शिका समय-समय पर आवश्यकता अनुसार पृथक से जारी की जायेगी। जिन जिलों में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संचालित है वहाँ के प्रभारी प्राचार्य एवं व्याख्याता भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण कार्यों के संचालन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग करेंगे।

16/10/15
जिला पंचायती राज पदाधिकारी
मोहताब (सहायक)

4. BRC एवं BPMU स्थापना हेतु चिह्नित भवन में यदि minor repair, colouring, flooring आदि की आवश्यकता हो तो RGPSA योजना अंतर्गत BRC हेतु निर्धारित बजट विवरण के अनुसार निर्धारित मद से यह कार्य कराया जा सकता है।

5. BRC सह BPMU की स्थापना हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के तकनीकी विवरण उपर्युक्त बॉक्स में वर्णित है।

6. यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक BRC सह BPMU स्थापना के समय उपलब्ध कसबे गये Assests की Inventory भी निश्चित रूप से तैयार कर एक प्रति BRC सह BPMU तथा एक प्रति जिला मुख्यालय पर DPRO कार्यालय में संधारित की जाएगी।

7. अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड पर पंचायती राज विभाग के पूर्व से कार्यरत ई-पंचायत हेतु डाटा इण्ट्री ऑपरेटर भी अनिवार्य रूप से BRC सह BPMU में ही उपस्थित रहकर अपने निर्धारित कार्यों का निर्वहन करेंगे।

8. BRC सह BPMU के सफल संचालन हेतु संबंधित प्रखंड पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा जिला पंचायत पदाधिकारी (DPRO) जिला पदाधिकारी की देख-रेख में सुपरविजन का कार्य करेंगे।

9. जिला पंचायत राज पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनवरी, 2015 को उनके जिले के प्रत्येक अनुमंडल के मुख्यालय प्रखंड में तथा ऐसे जिले जहां जिला पंचायत प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान पूर्व से स्थापित/अधिसूचित हैं (कुल बीस जिला) में एक अतिरिक्त BRC सह BPMU का उद्घाटन कर विधिवत संचालन आरम्भ हो जाये। प्रत्येक केन्द्र पर विभागीय लोगो सहित एक बोर्ड (5'x3' बैकग्राउण्ड व्हाइट रहेगा जिस पर ओलिव ग्रीन से टेक्स्ट की छपाई होगी) भी लगाया जाना होगा जिसका प्रारूप भी सुलग संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न है।

10. जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रत्येक माह अपने जिला के सभी BRC सह BPMU की समीक्षा बैठक करेंगे तथा संबंधित मुद्दों का निष्पादन अपने स्तर से करेंगे।

विश्वसभाजन,

सचिव, 14/01/15

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक: 24/RGPSA-8-108/2014/227

पं०रा०

पटना

दिनांक: 14/01/2015

प्रतिलिपि: सभी उप विकास आयुक्त-राह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Attest
16/01/15

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
सचिव, 14/01/15

ज्ञापक: 24/RGPSA-8-108/2014/227/पं०रा० पटना, दिनांक: 14/01/2015
प्रतिलिपि: सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनाएं एवं उन्हें निर्देश
देवा जाता है कि पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की
कृपा की जाए।

सचिव

पं०रा० पटना

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक: 24/RGPSA-8-108/2014/227/पं०रा० पटना, दिनांक: 14/01/2015
प्रतिलिपि: सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनाएं एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

पं०रा० पटना

सचिव,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

Attested

14/01/15
बिहार पंचायती राज पदाधिकारी
रोहतास (सावापूर)

पत्रांक-2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/3020/

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 21.01.2015

विषय : राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किस्त की कुल राशि 7509.95 लाख रु० (पचहत्तर करोड़ नौ लाख पनचानबे हजार रुपये) की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सुविधा के सुदृढीकरण, क्षमतावर्द्धन, आधारभूत ढाँचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण, आदि के उद्देश्य से 'राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA)' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत की गई है। भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दीर्घकालीन योजना एवं वार्षिक योजना बनायी जाएगी। यह योजना राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरान्त भारत सरकार के स्तर पर गठित केन्द्रीय प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 होगा।

2. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत राशि का उपयोग नौ Activity में किया जाना है - (i) Administrative and Technical Support at GP level (ii) GP Building (iii) Capacity Building and Training of Elected representatives and functionaries (iv) Institutional Structure for training at state, district and block level (v) E-enablement of Panchayats (vi) Support of Panchayat processes and procedure in panchayats with inadequate revenue base (vii) Programme Management (viii) Information, Education, Communication (IEC) (ix) Strengthening of SEC

3. राज्य सरकार द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राशि के उपयोग के संबंध में लिये गये निर्णय एवं उसपर भारत सरकार की सहमति के आलोक में कुल 19230.71 लाख रु० निर्धारित किया गया है। परन्तु इस स्वीकृत राशि में भारत सरकार द्वारा 2438.00 लाख रु० की अधिक स्वीकृति दी गयी है, फलतः इसके अन्तर्गत मूलतः 16792.71 लाख रु० ही स्वीकृत है। इस स्वीकृत की गयी राशि के अन्तर्गत लिये गये Activities एवं उससे संबंधित राशि की विवरणी अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

4. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम किस्त के लिए केन्द्रांश की राशि 7211.51 लाख रु० में से वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवशेष राशि 657.36 लाख रु० एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त अधिक राशि 187.50 लाख रु० की कटौती करते हुए कुल 6366.65 लाख रु० विमुक्त की गयी है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मूलतः स्वीकृत राशि 16792.71 लाख रु० के प्रथम किस्त के लिए केन्द्रांश की राशि 6297.28 लाख रु० में से वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवशेष राशि 657.36 लाख रु० एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त अधिक राशि 187.50 लाख रु० की कटौती करते हुए कुल 5452.42 लाख रु० देय होती है। इस राशि में Capacity Building and Training of Elected representatives and functionaries में भारत सरकार से पूर्व वर्ष प्राप्त अधिक राशि 207.74 लाख रु० के कारण Administrative and Technical Support at GP level में कुल 207.74 लाख रु० की कटौती करते हुए राशि देय है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम किस्त के लिए केन्द्रांश की राशि के समतुल्य राज्यांश की राशि 2099.08 लाख रु० में से Capacity Building and Training of Elected representatives and functionaries में भारत सरकार से पूर्व वर्ष प्राप्त अधिक राशि 41.55 लाख रु० के कारण कुल 2057.53 लाख रु० देय है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम किस्त के लिए राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत कुल 7509.95 लाख रु० स्वीकृति योग्य है। इससे संबंधित विवरणी अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न है।

5. अतः राज्य सरकार द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राशि के उपयोग के संबंध में लिये गये निर्णय, उसपर भारत सरकार की सहमति, भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति एवं मूलतः स्वीकृत राशि के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश की राशि 5452.42 लाख रु० (चौबन करोड़ बावन लाख वयालीस हजार रुपये) एवं राज्यांश की राशि 2057.53 लाख रु० (बीस करोड़ सनतावन लाख तिरपन हजार रुपये) अर्थात् कुल 7509.95 लाख रु० (पचहत्तर करोड़ नौ लाख पनचानवे हजार रुपये) स्वीकृत की जाती है। इससे संबंधित विवरणी अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है।

6. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि 7509.95 लाख रु० (पचहत्तर करोड़ नौ लाख पनचानवे हजार रुपये) की निकासी योजना बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत की जायेगी :-

(क) केन्द्रांश के लिए

(i) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0204-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515000030204)।

(ii) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0208-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001960208)।

(iii) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0205-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001970205)।

(iv) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0212-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3104-सहायक अनुदान-वेतन (विपत्र कोड संख्या पी 2515001980212)।

(v) योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0206-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-5301-मुख्य निर्माण कार्य (विपत्र कोड संख्या पी 4515001010206)।

(ख) राज्यांश के लिए

(i) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0304-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515000030304)।

(ii) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0308-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001960308)।

ASJ.

(iii) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0305-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001970305)।

(iv) योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0312-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3104-सहायक अनुदान-वेतन (विपत्र कोड संख्या पी 2515001980312)।

(v) योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0306-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-5301-मुख्य निर्माण कार्य (विपत्र कोड संख्या पी 4515001010306)।

7. वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि 7509.94 लाख रु० (पचहत्तर करोड़ नौ लाख चौरानवे हजार रुपये) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित शीर्ष एवं प्रक्रिया का उल्लेख अनुलग्नक 3 में उल्लेखित है।

8. इसकी मांग संख्या 16 है, जिसका उपयोग कोषागार में भेजे जानेवाले विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदनों में किया जायेगा।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र आवश्यक नहीं है। राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान-सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन पृष्ठ 6/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
20.1.15
अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/302/पटना, दिनांक 21.01.2015

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.1.15
अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/302/पटना, दिनांक 21.01.2015

प्रतिलिपि - विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा 5, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/302/पटना, दिनांक 21.01.2015

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/302/पटना, दिनांक 21.01.2015

प्रतिलिपि - सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/302/पटना, दिनांक 21.01.2015

प्रतिलिपि - वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2प/RGPSA-8-126/2014/पं०रा०/302/पटना, दिनांक 21.01.2015

प्रतिलिपि - आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

Annexure 1

Budget Plan of RGPSA 2014-2015 (in Rs.)

53

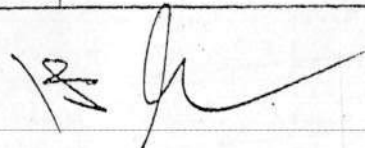
Sl.	Description of Activities	Remarks	Unit cost (in Rs)	Total Cost
1	Administrative and Technical Support			
1.1	Accountant cum Data Entry Operator	The average population of Gram Panchayat in Bihar is above 11000. The PRD has planned to deploy One Accountant cum Data Entry Operator per GP @ Rs 10,000 per month in all the 8402 GPs. for Five month	10000.00	420100000.00
1.2	Panchayat Sahayak	The average population of Gram Panchayat in Bihar is above 11000. The PRD has planned to deploy 01 Panchayat Sahayak per GP @ Rs.8000 per month in all the 8402 GPs. for Five month	8000.00	336080000.00
1.3	Junior Engineers	PRD has planned to deploy one Junior Engineers (one in a cluster of ten GPs) @ Rs 20000 per month for Five month. The total no of GPs is 8402. The deployment of Junior Engineers will be done as follows: a) 01 JE for a cluster of upto 10 GPs, b) 02 JEs for a cluster of 11-20 GPs, c) 03 JEs for a cluster of 20-30 GPs, d) 04 JEs for a cluster having 30 or more GPs).	20000.00	84100000.00
Total				840280000.00
2	GP Building			
2.1	Construction and furnishing of 50 new GP Buildings with toilet, electricity and drinking water facilities	50 buildings @ Rs.15 lakh per each GP	1500000.00	75000000.00
2.2	Construction and furnishing of new GP Buildings with toilet, electricity and drinking water facilities	Carryover activity from 13-14	1500000.00	13500000.00
Total				88500000.00

ACJ

Sl.	Description of Activities	Remarks	Unit cost (in Rs)	Total Cost
3	Institutional Structure			
3.1	Establishment of one SPRC (Bihar State Panchayat Raj Training Resource Centre- BSPRTRC) (one time only) - construction and purchase of equipments	PRD has proposed a centre for excellence for capacity building and training activities of PRIs at State Level	10000000.00	9000000.00
3.2	Recurring expenditure on hiring of services of Experts/ Senior Retired Govt Officials (as and when necessary) and maintenance of SPRC (Bihar Panchayat State Training Centre- BPSTC)	Cost as per MoPR /RGPSA Guidelines. For details, see the description of activities in the Perspective Plan.	4000000.00	4000000.00
3.3	Establishment/ construction of 20 DPRCs (Bihar Panchayat District Training Centre- BPDTC) and purchase of equipments at district level	05 DPRCs in 1st FY, 15 DPRCs in 2nd FY and the remaining 18 DPRCs are proposed in 3rd FY @ Rs.2 Crore per DPRC	20000000.00	40000000.00
3.4	Recurring expenditure on hiring of Faculty (as and when necessary) and maintenance of DPRC	Hiring of Faculty (as and when necessary), one Administrative Assistant, one Accountant cum Data Entry Operator, two Peons and two Guards will be provided for every DPRC. Details is in the Perspective Plan.	1000000.00	16000000.00
3.5	Establishment of Block level Resource Centres (BRCs)	100.00	1000000.00	12000000.00
4	Total			549000000.00
4.1	Capacity Building & Training activities (All Carry Over Activities. No new fund proposed)			
4.2	Training Need Assessment	Rs. 5 lakh per year	250000	187500.00
4.3	Development of Training Modules (core content development & designing)	Rs. 5 lakh per year	250000	187500.00
4.3	Development of Training/ IEC Materials including Film	Rs. 1 Crore per year	500000	375000.00

Description of Activities		Remarks	Unit cost (in Rs)	Total Cost
4.4	Training of Master Trainers (216 nos at State level + 2136 at district level = 2352) - 4 days per annum	Cost @ Rs 1850 per person per day x 2352 participants x 4 days	1850	5452000.00
4.5	Exposure Visit within the State (batch of 20 persons x 38 batches per year x 3 days including travel)	Rs. 2000 per participant x 38 batches x 20 persons/ batch x 3 days	2000 per day per participant	1710000.00
4.6	Exposure Visit outside the State (batch of 20 persons x 5 batches per year x 7 days including travel)	Rs. 10000 per participants x 5 batches x 20 persons/ batch x 7 days	Rs. 10000 per day per participants	758000.00
4.7	Evaluation of Training Programmes	Rs. 5 lakh per year (lumpsum)	500000	188000.00
4.8	One 05 days Training on DTS for selected, MRPs & Faculties (150 participants) followed by 3 days refresher training	Rs. 1850 per person per day x 150 participants x 05 days/ 03 days	1850	520000.00
4.9	Three Days Training on record keeping, report writing and preparation of UC for 76 participants (2 persons/district x 38 districts)	Rs. 1850 per person per day x 76 participants x 03 days	1850	158000.00
10	10 days Computer Courses at block level for gram panchayat level functionaries (8406)	Rs. 500 per participant/day x 8406 participants x 10 days	500 per day per participant	15761000.00
11	6 One day Workshops for IT persons at GP level for GP level IT Functionaries	Rs.500 per participant/day x 8406 participants x 6 workshops	500	9457000.00
Total				33238000.00
E- enablement of Panchayats				
	Laptop, UPS, Scanner and Printer for Accountant-cum-Data Entry Operator at Gram Panchayat (1730 GPs)	Rs. 40000 per GP x 1730	40000	69200000.00

Asst



0.1

Sl.	Description of Activities	Remarks	Unit cost (in Rs)	Total Cost
5.2	Laptop, UPS, Scanner and Printer for Accountant-cum-Data Entry Operator at 100 Gram Panchayat as approved last year and fund received last year	Rs. 40000 per GP × 100	40000	1500000
5.3	Laptop, UPS, Scanner and Printer for Accountant-cum-Data Entry Operator at 100 Gram Panchayat as approved last year	Rs. 40000 per GP × 100	40000	2500000.00
6	Total			7320000.00
6.1	Development of Rules for transaction of works/ business devolved to Panchayats.	IEC Activities		
6.2	Designing of Communication Strategy and developing IEC materials for Gram Sabha Campaign.	Designing of Communication Strategy and developing IEC materials for Gram Sabha campaign This activity will be done at State level through outsource expert agency.	1000000	200000.00
6.3	Gram Sabha level Campaigns @ Rs.5 lakh per district per year - lumpsum	To generate awareness of the people on Gram Sabha and enhance the level of their participation for proper functioning of Gram Sabha	500000	500000.00
			Rs. 459000 x 38 districts	15142000.00
7	Total			15842000.00
7.1	Programme Management Cost @ 5% of the total cost.	Programme Management		
		In case of need, services of Experts/ Senior Retired Govt Officials will be hired.		79211000.00
GRAND TOTAL				1679271000

Agd. 12/11

(एक अरब सड़सठ करोड़ बेरानबे लाख
एकहत्तर हजार रु०)
20.1.15
अनुश्रवण पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

Annexure II

RGPSA अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की राशि की विवरणी

(लाख रु०)

क्रम	विषय	स्वीकृत राशि			अनुमान्य प्रथम किस्त			प्रथम किस्त की स्वीकृत की जानेवाली राशि							राज्यांश	कुल
								केन्द्रांश								
		कुल स्वीकृत	अधिक स्वीकृत राशि	मूल रूप में स्वीकृत राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	अनुमान्य राशि	2013-14 की अवशेष राशि	2013-14 में अधिक प्राप्त राशि	कुल (9-10-11)	CB में प्राप्त अधिक राशि	स्वीकृत की जाने वाली राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
1	Administrative and technical support at GP level	8402.80	0	8402.80	3151.05	1050.35	4201.40	3151.05	0	0	3151.05	207.74	2943.31	1050.35	3993.66	
2	Construction and Repair of GP Building	885.00	0	885.00	331.88	110.62	442.50	331.88	0	0	331.88		331.88	110.62	442.50	
3	Capacity Building and Training	332.38	0	332.38	124.64	41.55	166.19	124.64	332.38	0	-207.74		0	0	0	
4	Institutional Structure	7790.00	2300.00	5490.00	2058.75	686.25	2745.00	2058.75	303.75	187.50	1567.50		1567.50	686.25	2253.75	
5	E-enablement of Panchayats	732.00	0	732.00	274.50	91.50	366.00	274.50	15.00	0	259.50		259.50	91.50	351.00	
6	Support of Panchayat Process to Panchayat with inadequate resource base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7	Strengthening of SEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8	IEC Activities	181.42	23.00	158.42	59.41	19.80	79.21	59.41	3.58	0	55.83		55.83	19.80	75.63	
9	Programme Management	907.11	115.00	792.11	297.05	99.01	396.06	297.05	2.65	0	294.40		294.40	99.01	393.41	
1	TOTAL	19230.71	2438.00	16792.71	6297.28	2099.08	8396.36	6297.28	657.36	187.50	5452.42	207.74	5452.42	2057.53	7509.95	

20.1.15
अनुश्रवण पदाधिकारी

Annexure III

1st Installment of RGPSA 2014-2015

Sl.	Description of Activities	Remarks	Unit cost (in Rs)	Central Share (in lac) & Head	State Share (in lac) & Head	Total (in lac)	DDO	Procedure
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administrative and Technical Support								
1.1	Accountant cum Data Entry Operator	The average population of Gram Panchayat in Bihar is above 11000. The PRD has planned to deploy One Accountant cum Data Entry Operator per GP @ Rs 10,000 per month in all the 8406 GPs. for Five month	10000.00	1471.52	525.12	1996.64	OSD, Panchayati Raj Department, Bihar, Patna	राशि की निकासी कर संबंधित एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा
1.2	Panchayat Sahayak	The average population of Gram Panchayat in Bihar is above 11000. The PRD has planned to deploy 01 Panchayat Sahayak per GP @ Rs.8000 per month in all the 8406 GPs. for Five month	8000.00	1177.21	420.10	1597.31		
1.3	Junior Engineers	PRD has planned to deploy one Junior Engineers (one in a cluster of ten GPs) @ Rs 20000 per month for Five month. The total no of GPs is 8402. The deployment of Junior Engineers will be done as follows: a) 01 JE for a cluster of upto 10 GPs, b) 02 JEs for a cluster of 11-20 GPs, c) 03 JEs for a cluster of 20-30 GPs; d) 04 JEs for a cluster having 30 or more GPs.	20000.00	294.59	105.13	399.71		
Total			2943.31	1050.35	3993.66			
GP Building								
2.1	Construction and furnishing of 100 new GP Buildings with toilet, electricity and drinking water facilities	24 buildings in 1st FY, 50 buildings in 2nd FY @ Rs.15 lakh per each GP	1500000.00	281.25	93.75	375.00	OSD, Panchayati Raj Department, Bihar, Patna	राशि की निकासी कर LAEO को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा
2	Construction and furnishing of new GP Buildings with toilet, electricity and drinking water facilities	Carryover activity from 13-14	1500000.00	50.63	16.87	67.50		
Total			331.88	110.62	442.50			

		Remarks	Unit cost (in Rs)	Central Share (in lac) & Head	State Share (in lac) & Head	Total (in lac)	8	9		
		3	4	5	6	7				
Institutional Structure										
	Establishment of one SPRC (Bihar State Panchayat Raj Training Resource Centre- BSPTRC) (one time only)- construction and purchase of equipments	PRD has proposed a centre for excellence for capacity building and training activities of PRIs at State Level	10000000.00	25.70	योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0206-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-5301-मुख्य निर्माण कार्य (विपत्र कोड संख्या पी 4515001010206)।	11.25	योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0308-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-5301-मुख्य निर्माण कार्य (विपत्र कोड संख्या पी 4515001010306)।	36.95	OSD, Panchayati Raj Département, Bihar, Patna	राशि की निकासी कर LAEO को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा
3.2	Recurring expenditure on hiring of services of Experts/ Senior Retired Govt Officials (as and when necessary) and maintenance of SPRC (Bihar Panchayat State Training Centre- BPSTC)	Cost as per MoPR/RGSA Guidelines. For details, see the Description of activities in the Perspective Plan.	4000000.00	11.42	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0204-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515000030204)।	5.00	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0304-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515000030304)।	16.42		
3.3	Establishment/ construction of 20 DPRCs (Bihar Panchayat District Training Centre- BPDTC) and purchase of equipments at district level	05 DPRCs in 1st FY, 15 DPRCs in 2nd FY and the remaining 18 DPRCs are proposed in 3rd FY @ Rs.2 Crore per DPRC	20000000.00	1142.08	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0208-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001960208)।	500.00	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0308-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001960308)।	1642.08	District Panchayati Raj Officer	
1.4	Recurring expenditure on hiring of Faculty (as and when necessary) and maintenance of DPRC	Hiring of Faculty (as and when necessary), one Administrative Assistant, one Accountant cum Data Entry Operator, two Peons and two Guards will be provided for every DPRC. Details is in the Perspective Plan.	1000000.00	45.68		20.00		65.68		
5	Establishment of Block level Resource Centres (BRCs)		1000000.00	342.62	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0205-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001970205)।	150.00	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0305-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001970305)।	492.62		
Total					1567.50		686.25	2253.75		

Total

AS-5

Description of Activities		Remarks	Unit cost (in Rs)	Central Share (in lac) & Head	State Share (in lac) & Head	Total (in lac)	DDO	Procedure			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
E- enablement of Panchayats											
4.1	Laptop, UPS, Scanner and Printer for Accountant-cum-Data Entry Operator at Gram Panchayat (1730 GPs)	Rs. 40000 per GP x 1730	40000	245.32	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0205-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001970205)।	86.49	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0305-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001970305)।	331.81	District Panchayat Raj Officer		
4.2	Laptop, UPS, Scanner and Printer for Accountant-cum-Data Entry Operator at 100 Gram Panchayat as approved last year and fund received last year	Rs. 40000 per GP x 100	40000	5.32		1.88				7.20	
4.3	Laptop, UPS, Scanner and Printer for Accountant-cum-Data Entry Operator at 100 Gram Panchayat as approved last year	Rs. 40000 per GP x 100	40000	8.86		3.13				11.99	
Total				259.50		91.50				351.00	
IEC Activities											
5.1	Development of Rules for transaction of works/ business devolved to Panchayats.		1000000	0.71	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0212-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3104-सहायक अनुदान-योजना (विपत्र कोड संख्या पी 2515001980212)।	0.24	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0312-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना-3104-सहायक अनुदान-योजना (विपत्र कोड संख्या पी 2515001980312)।	0.95	OSD, Panchayati Raj Department, Bihar, Patna	राशि की निकासी कर संबंधित एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा	
5.2	Designing of Communication Strategy and developing IEC materials for Gram Sabha Campaign	Designing of Communication Strategy and developing IEC materials for Gram Sabha campaign This activity will be done at State level through outsource expert agency.	500000	1.76		0.63					2.39
5.3	Gram Sabha level Campaigns @ Rs.5 lakh per district per year - lumpsum	To generate awareness of the people on Gram Sabha and enhance the level of their participation for proper functioning of Gram Sabha	Rs. 459000 x 38 districts	53.36		18.93					72.29
Total				55.83		19.80					75.63

Description of Activities	Remarks	Unit cost (in Rs)	Central Share (in lac) & Head	State Share (in lac) & Head	Total (in lac)	DDO	Procedure		
2	3	4	5	6	7	8	9		
Programme Management									
Programme Management Cost @ 5% of the total cost.	In case of need, services of Experts/ Senior Retired Govt Officials will be hired.		294.40	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0208-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001960208)।	99.01	योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0308-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-3105-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण (विपत्र कोड संख्या पी 2515001960308)।	393.41	OSD, Panchayati Raj Department, Bihar, Patna	राशि की निगरानी कर संचालित। एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट को माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
GRAND TOTAL			5452.42		2057.53	7509.95			

(पचहत्तर करोड़ नौ लाख पनचानबे हजार रु०)

(पचहत्तर करोड़ नौ लाख पनचानबे हजार रु०)

20.1.15
अनुश्रवण पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या 5प/योजना-1-014/2014/पं०रा०/ 72 (31/1)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

राम प्रकाश सिंह,

अनुश्रवण पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 20-02-2015।

विषय : राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 302 दिनांक 21.01.2015 द्वारा स्वीकृत की गयी में से 492.62 लाख रु० (चार करोड़ बेरानवे लाख बासठ हजार रु०) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 302 दिनांक 15.01.2015 द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (RGPSA) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में कंडिका 3.5 द्वारा Establishment of Block level Resource Centres (BRCs) हेतु कुल 492.62 लाख रु० (चार करोड़ बेरानवे लाख बासठ हजार रु०) की स्वीकृत की गयी है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार जिलावार/प्रखंडवार अंकित राशि कुल 492.62 लाख रु० (चार करोड़ बेरानवे लाख बासठ हजार रु०) आवंटित की जाती हैं।

2. राशि के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग नियमानुसार करेंगे एवं राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 6720 दिनांक 25.07.2014 तथा विभागीय पत्रांक 227 दिनांक 14.01.2015 (संलग्न) में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो। DGS & D द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित (Certified) सामग्रियों का ही कय नियमानुसार किया जायेगा।

पञ्चायती राज पदाधिकारी
रोहतास (बाकापच)

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Attest
D
विद्या पद्मपती राव पराचिकर
शेखर (आचार्य)

विवरणी

RGPSA के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत प्रथम किस्त की राशि में से BRC हेतु राशि का आवंटन

क्र०	जिला	प्रखंड		आवंटित राशि			
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आवंटित राशि	
1	2	3		4	5	6	
1	Araria	1	Forbesganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		2	Araria	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
2	Arwal	3	Arwal Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
3	Aurangabad	4	Aurangabad	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		5	Daudnagar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
4	Banka	6	Banka Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
5	Begusarai	7	Begusarai	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		8	Teghra	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		9	Baliya	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		10	Manjhaul	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		11	Bakhri	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		12	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
7	Bhagalpur	13	Kahalgaon	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		14	Navgachiya	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		15	Ara sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		16	Piro	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		17	jagdishpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
8	Buxer	18	Buxar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		19	dumrao	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)

विभा. प्रशा. रा.क. प्रशा. विभा.
शेराबाद (महाराष्ट्र)

क्र.सं.	जिला	प्रखंड		आवंटित राशि			
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आवंटित राशि	
1	2	3		4	5	6	
9	Darbhanga	20	Darbhangha	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		21	Benipur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		22	Biraul	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
10	East Champaran	23	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		24	Chakiya	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		25	Pakridayal	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		26	Areraj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		27	Raxaul	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		28	Sikrahna	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
11	Gaya	29	Sherghati	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		30	Gaya Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		31	Nimchak	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		32	Bathani	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		33	Tekari	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		34	Dobhi	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		35	Aamas	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		36	Banke Bazar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		37	Imamganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		38	Dumaria	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		39	Barachatti	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		40	Mohanpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		41	Khijarsarai	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		42	Atari	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)

विभाग १ (चारा) सब प्रशासिक
सहायक (महापौर)

Handwritten signature and date 10/10/14

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

क्र०	जिला	प्रखण्ड		आवृत्ति राशि			
				केन्द्राश	राज्याश	कुल आवृत्ति राशि	
1	2	3		4	5	6	
12	Gopalganj	43	Hathua	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		44	Gopalganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
13	Jamui	45	Jamui Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
14	Jehanabad	46	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		47	Ratni Faridpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		48	Makhdumpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
15	Kaimur	49	Mohania	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		50	Bhabua	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
16	Katihar	51	Katihar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		52	Barsoi	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		53	Manihari	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
17	Khagaria	54	Khagaria	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		55	Goghari	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
18	Kishanganj	56	Kishanganj Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
19	Lakhisarai	57	Lakhisarai Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
20	Madhepura	58	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		59	Udakishunganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		60	Madhubani	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		61	Benipatti	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
	Madhubani	62	Jaynagar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		63	Fulparas	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		64	Jhanjharpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)

क्र०	जिला	प्रखंड		आवंटित राशि			
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आवंटित राशि	
1	2	3		4	5	6	
22	Munger	65	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		66	Haveli Kharagpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		67	Tarapur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
23	Muzaffarpur	68	East	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		69	West	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
24	Nalanda	70	Biharsharif	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		71	Hilsa	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		72	rajgir	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		73	Harnaut	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		74	Nagar Nausa	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		75	Islampur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		76	Noorsarai	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		77	Sarmera	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
25	Nawada	78	Nawada	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		79	Rajuli	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
26	Patna	80	Barh	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		81	Patna Sadar	285596	125000	410596	(चार लाख दस हजार पाँच सौ छियानबे रु०)
		82	Patna City	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		83	Danapur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		84	Masaudhi	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		85	Paligunj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		86	Sampatchak	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		87	Fulwarisharif	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)

दिनांक १५/१०/२०१५
 २६
 (सहसचिव)
 Attested
 १०/१०/२०१५
 (सहसचिव)
 Patna

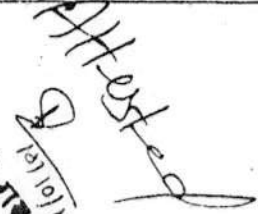
प्रति र ह

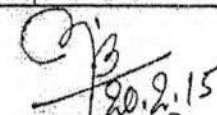
क्र०	जिला	प्रखंड		आवृत्ति राशि			
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आवृत्ति राशि	
1	2	3		4	5	6	
27	Purnia	88	sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		89	Dhamdaha	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		90	Banmankhi	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		91	Baisi	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
28	Rohtas	92	Bikramganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		93	Sasaram	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		94	Dehri	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
29	Saharsa	95	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		96	Simri	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
30	Samastipur	97	Patori	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		98	Samastipur Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		99	Dalsinghsarai	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		100	Rosera	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
	Saran	101	Marhaura	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		102	Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		103	Sonepur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
32	Seikhpura	104	Seikhpura	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
33	Seohar	105	Sheohar Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
34	Sitamarhi	106	Sitamarhi Sadar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		107	Pupri	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		108	Belsand	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)

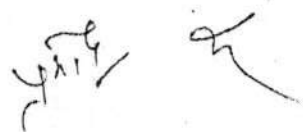
जि.आ. व.पा.प.सी. रा.व. प्र.रा.वि.का.री
रोहतास (सहारापुर)

5 फाई द ह

क्र०	जिला	प्रखंड		आवंटित राशि			
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल आवंटित राशि	
1	2	3		4	5	6	
35	Siwan	109	Siwan	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		110	Maharajganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
36	Supaul	111	Nirmali	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		112	Supaul	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		113	Triveniganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		114	Birpur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
37	Vaishali	115	Mahnar	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		116	Mahua	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		117	Hajipur	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
38	West Champaran	118	Bettiah	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		119	Bagaha	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
		120	Narkatiyaganj	285516	125000	410516	(चार लाख दस हजार पाँच सौ सोलह रु०)
TOTAL				34262000	15000000	49262000	(चार करोड़ बेरानबे लाख बासठ हजार रु०)


 बिहार पंचायती राज विकास विभाग
 गीतपुर (बाराबाग)


 20.2.15
 अनुश्रवण पदाधिकारी,
 पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।



प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 18/07/2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत कुल ₹ 6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।

महाशय,

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यथा जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उपप्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उपमुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उपसरपंच/पंच के दायित्वों में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप सभी निर्वाचित सदस्यों को उन्हें प्राप्त शक्तियाँ एवं दायित्वों की जानकारी के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के अंतर्गत पंचायतों के लिए लेखा का संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत कुल ₹ 6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत स्वीकृत कुल ₹ 6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की राशि में रा प्रशिक्षण कार्य हेतु ₹ 5220.05 लाख (बावन करोड़ बीस लाख पाँच हजार रुपये) मात्र एवं पंचायतों के लिए लेखा का संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था हेतु ₹ 839.10 लाख (आठ करोड़ उनचालीस लाख दस हजार रुपये) मात्र निर्धारित है। निर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण के संबंध में विभागीय पत्रांक-4752 दिनांक 13.07.2016 एवं पत्रांक 4500 दिनांक 29.06.2016 द्वारा कार्यकारी निदेश संसूचित है। पंचायतों के सशक्तीकरण के अंतर्गत पंचायतों के लिए लेखा का संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था के संबंध में अलग से निदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-16 के अंतर्गत योजना मद में उपबंधित राशि से निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत की जायेगी :-

1.	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0308-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान। इसका विपत्र कोड संख्या- 2515001960308 एवं इकाई- 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।
2.	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष- 00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0305-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान। इसका विपत्र कोड संख्या- 2515001970305 एवं इकाई- 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।
3.	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष-0312-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना। इसका विपत्र कोड संख्या- 2515001980312 एवं इकाई- 3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

4.	मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लक्ष शीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-0304-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना। इसका विपत्र कोड संख्या- 2515000030304 एवं इकाई- 2003-प्रशिक्षण व्यय।
----	---

4. राज्य स्तर पर व्यय किये जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी एवं Bihar Agricultural Management & Extension Training Institute (BAMETI), को उनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य में किये गये वास्तविक व्यय/माँग के आधार पर स्वीकृत राशि की निकासी कर इसे बैंक ड्रफ्ट/चेक के माध्यम से उपलब्ध करावेंगे।

5. जिला स्तर पर व्यय की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011-के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से निर्गत जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय की गयी राशि की विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016 के पृष्ठ संख्या 13/टि० पर प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016 के पृष्ठ संख्या 13/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016/07/पं०रा० पटना, दिनांक 18-07-2016
प्रतिलिपि - सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज /सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016/07/पं०रा० पटना, दिनांक 18-07-2016
प्रतिलिपि - विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), बिहार, पटना/बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, बिहार, पटना/Bihar Agricultural Management & Extension Training Institute (BAMETI), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016/07/पं०रा० पटना, दिनांक 18-07-2016
प्रतिलिपि - प्रशाखा-05/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि राज्यादेश की प्रति वेबसाईट पर डालेंगे तथा अविलम्ब सभी संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल द्वारा सूचित करेंगे।


(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

पत्र संख्या 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016/ 16 अग/प०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक

सुरेश प्रसाद साह,

संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार।

विशेष कार्य पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19/07/2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत कुल ₹ 40,13,30,452.00 (चालीस करोड़ तेरह लाख तीस हजार बार सौ बावन रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 07 दिनांक 18.07.2016 द्वारा सभी निर्वाचित सदस्यों को उन्हें प्राप्त शक्तियाँ एवं दायित्वों की जानकारी के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के अंतर्गत पंचायतों के लिए लेखा का संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत कुल ₹6059.15 लाख (साठ करोड़ छत्तर लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत "योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00 तथा शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0312-राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना" मद अंतर्गत "3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा" इकाई से विभागीय राज्यादेश संख्या 07 दिनांक 18.07.2016 के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों यथा जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उपप्रमुख/सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया/उपमुखिया/वार्ड सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उपसरपंच/पंच के प्रशिक्षण कार्य हेतु सभी जिलों को संलग्न विवरणी-1 (तीन पृष्ठ) के अनुसार कुल ₹36,03,74,662.00 (छत्तीस करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार छह सौ बासठ रुपये) मात्र तथा बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), बिहार, पटना एवं बिहार ग्राम स्वराज योजना संसाधन

हस्ताक्षर

सुनि

लगातार.....

बिहार, पटना को संलग्न विवरणी-2 (एक पृष्ठ) के अनुसार कुल ₹4,09,55,790.00 (चार करोड़ नौ लाख पचपन हजार सात सौ नब्बे रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹40,13,30,452.00 (चालीस करोड़ तेरह लाख तीस हजार चार सौ बावन रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. राज्य स्तर पर व्यय किये जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), बिहार, पटना एवं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, बिहार, पटना को उनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य में किये गये वास्तविक व्यय/माँग के आधार पर आवंटित राशि की निकासी कर इसे बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

5. जिला स्तर पर व्यय की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं माँग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय की गयी राशि की विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन आदेश एवं संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।





लगातार.....

11. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या P 2515001980312 है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव

ज्ञापक 2प/आर०जी०पी०एस०ए०-08-01/2016/16 (17/0)/प०रा० पटना, दिनांक 19/02/2016

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), बिहार, पटना/बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज /सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 5 एवं आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेश प्रसाद साह)

संयुक्त सचिव



विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान' के अन्तर्गत कुल ₹ 36,03,74,662.00 (छत्तीस करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार छह सौ बासठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

क्र.सं.	जिला का नाम	विकास एवं व्यवस्थापन अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	ग्राम कचहरी के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	पंचायत समिति के सदस्यों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला परिषद के सदस्यों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के वार्षिक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला परिषद के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के मुखिया के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	ग्राम कचहरी के सरपंच एवं उप सरपंच के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	कुल आवंटित राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बक्सर	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बक्सर	2605932.00	2759990.00	229800.00	30780.00	179360.00	249900.00	234300.00	₹ 6299162.00 (छत्तीस लाख निम्नान्वे हजार एक सौ बासठ रुपये) मात्र
2	बलिया	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बलिया	4398372.00	4679877.00	379170.00	37620.00	302080.00	349100.00	325500.00	₹ 10471709.00 (एक करोड़ चार लाख इकहत्तर हजार सात सौ उन्नीस रुपये) मात्र
3	भोजपुर	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भोजपुर	4101930.00	4363902.00	356190.00	35340.00	283200.00	341300.00	318700.00	₹ 9800562.00 (अनन्त लाख पचास सौ बासठ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नालन्दा	4466163.00	4751115.00	392958.00	38760.00	302080.00	352300.00	326700.00	₹ 10620676.00 (एक करोड़ छह लाख तीस हजार छिहत्तर रुपये) मात्र
5	पटना	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना	5742702.00	6112680.00	498666.00	52440.00	396480.00	437900.00	406300.00	₹ 13647168.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख सैतालीस हजार एक सौ अड़सठ रुपये)
6	कैमूर	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कैमूर	2468052.00	2639253.00	213714.00	21660.00	169920.00	248300.00	237100.00	₹ 5997999.00 (छत्तीस लाख सत्तानवें हजार नौ सौ निम्नान्वे रुपये) मात्र
7	मधेपुरा	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा	6017313.00	6398781.00	527391.00	52440.00	405920.00	444900.00	410300.00	₹ 14257045.00 (एक करोड़ बगलीस लाख सत्तानवें हजार पैंतालीस रुपये) मात्र
8	नवादा	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा	3333249.00	3548112.00	291846.00	28500.00	226560.00	320700.00	302300.00	₹ 8051267.00 (आठ सौ लाख इक्यावन हजार दो सौ तब्बसठ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, औरंगाबाद	3745740.00	3980136.00	329763.00	31920.00	254880.00	331300.00	309100.00	₹ 8982839.00 (नौ सौ लाख ब्यासी हजार आठ सौ उन्नचालीस रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद	1677540.00	1784797.00	147072.00	14820.00	113280.00	174300.00	164700.00	₹ 4076109.00 (चार सौ लाख छिहत्तर हजार एक सौ नौ रुपये) मात्र
11	अरवल	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अरवल	1145553.00	1220238.00	102261.00	10260.00	84960.00	160100.00	153500.00	₹ 2876872.00 (अठ्ठाईस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बहत्तर रुपये) मात्र
12	सारन	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सारन	6004674.00	6375801.00	528540.00	53580.00	405920.00	443500.00	406700.00	₹ 14218715.00 (एक करोड़ ब्यालीस लाख अठ्ठावन हजार सात सौ पन्दह रुपये) मात्र
13	सिवांग	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सिवांग	5368128.00	5704785.00	472239.00	46740.00	368160.00	376500.00	344700.00	₹ 12681252.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार दो सौ बावन रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गोपालगंज	4188105.00	4456971.00	367680.00	36480.00	283200.00	344700.00	321100.00	₹ 9998236.00 (नौ सौ लाख अठ्ठावन हजार दो सौ छत्तीस रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर	7002006.00	7444371.00	611268.00	61560.00	472000.00	471700.00	431500.00	₹ 16494405.00 (एक करोड़ चौंसठ लाख चौंसठ हजार चार सौ बीस रुपये) मात्र
16	मधेपुरा	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा	5230248.00	5561160.00	453855.00	46740.00	358720.00	372300.00	342700.00	₹ 12365733.00 (एक करोड़ तैंस लाख पैंसठ हजार सात सौ तैंस रुपये) मात्र

86mm

24/4

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत कुल ₹ 36,03,74,662.00 (छत्तीस करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार छह सौ बसंत रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत के जिविवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	ग्राम कचहरी के जिविवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	पंचायत समिति के सदस्यों के जिविवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला परिषद के सदस्यों के जिविवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला स्तरीय प्रशिक्षण के वार दिवसीय कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला परिषद के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के मुखिया के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	ग्राम कचहरी के सरपंच एवं उप सरपंच के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय			कुल आवंटित राशि (राशि रुपये में)	
3	4	5	6	7	8	9	10			11	
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूरु सन्मरण	7361643.00	7826933.00	646887.00	64950.00	490880.00	482500.00	439500.00	₹	17313378.00	(एक करोड़ तेइस लाख तेइस हजार तीन सौ अठहत्तर रुपये) मात्र	पूरु पम्पा
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूरु छम्पारण	5542776.00	5904711.00	480282.00	47880.00	377600.00	382500.00	353500.00	₹	13089249.00	(एक करोड़ तीस लाख नवसौ हजार दो सौ उनचास रुपये) मात्र	पूरु पम्पा
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीतामढ़ी	5034918.00	5348595.00	441216.00	43320.00	339840.00	366500.00	336700.00	₹	11911089.00	(एक करोड़ उन्नीस लाख न्याह हजार नवसौ रुपये) मात्र	सीतामढ़ी
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सिवहर	989097.00	1040994.00	82728.00	7980.00	66080.00	153900.00	148700.00	₹	2480479.00	(दोवीस लाख असी हजार चार सौ उनचास रुपये) मात्र	सिवहर
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर	4140996.00	4419054.00	360786.00	33340.00	283200.00	344900.00	324300.00	₹	9908576.00	(नौन्यावे लाख आठ हजार पाँच सौ छिहत्तर रुपये) मात्र	भागलपुर
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बांका	3274650.00	3487215.00	287250.00	28500.00	226560.00	319500.00	301500.00	₹	7925175.00	(उन्नीस लाख पच्चीस हजार एक सौ पचाहत्तर रुपये) मात्र	बांका
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधुबनी	7262829.00	7721280.00	637695.00	63840.00	490880.00	479500.00	437100.00	₹	17093124.00	(एक करोड़ सत्तर लाख तिरानवे हजार एक सौ चौबीस रुपये) मात्र	मधुबनी
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, समस्तीपुर	6861828.00	7299597.00	599778.00	58140.00	462560.00	468300.00	429900.00	₹	16180103.00	(एक करोड़ इक्कसठ लाख असी हजार एक सौ तीन रुपये) मात्र	समस्तीपुर
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, दरभंगा	5885178.00	6257454.00	517050.00	53580.00	396480.00	441700.00	407100.00	₹	13958542.00	(एक करोड़ उनचासीस लाख अठान्न हजार पाँच सौ बयालीस रुपये) मात्र	दरभंगा
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सहरसा	2730024.00	2903523.00	236694.00	23940.00	188800.00	253100.00	237900.00	₹	6573981.00	(सैसठ लाख तिहत्तर हजार नौ सौ इक्कास रुपये) मात्र	सहरसा
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मधेपुरा	2966718.00	3162048.00	258525.00	26220.00	198240.00	311100.00	295900.00	₹	6952351.00	(उनहत्तर लाख बावन हजार तीन सौ इक्कावन रुपये) मात्र	मधेपुरा
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल	3321759.00	3529728.00	292995.00	28500.00	226560.00	319700.00	299900.00	₹	8019142.00	(अस्सी लाख उन्नीस हजार एक सौ बयालीस रुपये) मात्र	सुपौल
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्णिया	4419054.00	4701708.00	389511.00	37620.00	302080.00	351100.00	325900.00	₹	10526973.00	(एक करोड़ पाँच लाख छबीस हजार नौ सौ तिहत्तर रुपये) मात्र	पूर्णिया
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, अररिया	3938772.00	4189254.00	348147.00	34200.00	254880.00	337700.00	314700.00	₹	9417653.00	(दौरानवे लाख सत्तर हजार छह सौ तिरैपन रुपये) मात्र	अररिया
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, किशनगंज	2322129.00	2466903.00	202724.00	20520.00	160480.00	241500.00	227000.00	₹	5641656.00	(छप्पन लाख इक्कासीस हजार छह सौ छप्पन रुपये) मात्र	किशनगंज
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार	4292664.00	4566126.00	375723.00	37620.00	292640.00	347100.00	322700.00	₹	10234573.00	(एक करोड़ दो लाख चौतीस हजार पाँच सौ तिहत्तर रुपये) मात्र	कटिहार

86/11

86/11

पूरु पम्पा

पूरु पम्पा

सीतामढ़ी

सिवहर

भागलपुर

बांका

मधुबनी

समस्तीपुर

दरभंगा

सहरसा

मधेपुरा

सुपौल

पूर्णिया

अररिया

किशनगंज

कटिहार

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत कुल ₹ 36,03,74,662.00 (छत्तीस करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार छह सौ बासठ रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

क्र.सं.	जिला का नाम	विकास आयोग एवं व्यवस्थापक अधिकारी का नाम	ग्राम पंचायत के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	ग्राम कचहरी के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	पंचायत समिति के सदस्यों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला परिषद के सदस्यों के त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के बार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के मुखिया के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	ग्राम कचहरी के सरपंच एवं उप सरपंच के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाला व्यय	कुल आवंटित राशि (राशि रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	मुंगेर	उप विकास आयोग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुंगेर	1801632.00	1917681.00	156264.00	15956.00	122720.00	227700.00	217900.00	₹ 4459897.00 (चौपचासी लाख उनसठ हजार आठ सौ सत्तारन रुपये) मात्र
34	जमुई	उप विकास आयोग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जमुई	2607081.00	2782878.00	221251.00	22800.00	179160.00	250700.00	238700.00	₹ 6303276.00 (छिन्नसठ लाख तीन हजार दो सौ छिन्नसठ रुपये) मात्र
35	हेमचन्द्रगढ़	उप विकास आयोग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, हेमचन्द्रगढ़	4030692.00	4293813.00	349296.00	39900.00	273760.00	341100.00	319100.00	₹ 9647601.00 (नवसठ लाख सैतालीस हजार छह सौ इक्कसठ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	उप विकास आयोग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया	2432433.00	2580654.00	212565.00	20520.00	169920.00	243900.00	229100.00	₹ 5889092.00 (पचास लाख नवसठ हजार बायस रुपये) मात्र
37	लखीसराय	उप विकास आयोग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, लखीसराय	1464975.00	1556895.00	129837.00	12540.00	103840.00	168300.00	159500.00	₹ 3595887.00 (तीस लाख पचासवें हजार आठ सौ सत्तारन रुपये) मात्र
38	शिवपुरा	उप विकास आयोग-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शिवपुरा	942180.00	1004226.00	80430.00	7980.00	66080.00	133700.00	149100.00	₹ 2403696.00 (दोईस लाख तीन हजार छह सौ छिन्नसठ रुपये) मात्र
कुल			151110735.00	160751994.00	13210053.00	1331520.00	10280160.00	12404800.00	11285400.00	₹ 360374662.00 (छत्तीस करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार छह सौ बासठ रुपये)

19/7/2016
(सुरेश प्रसाद साह)
संयुक्त सचिव

8/8

विवरणी-2

वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान" के अन्तर्गत कुल ₹ 4,09,55,790.00 (चार करोड़ नौ लाख पचपन सात सौ नब्बे रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

क्र०सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	संस्था का नाम	आवृत्ति राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD), बिहार, पटना।	₹ 955790.00 (नौ लाख पचपन हजार सात सौ नब्बे रूपये) मात्र
2		बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, बिहार, पटना	₹ 40000000.00 (चार करोड रूपये) मात्र
कुल			₹ 40955790.00 (चार करोड नौ लाख पचपन हजार सात सौ नब्बे रूपये) म


 (सुरेश प्रसाद सिंह)
 संयुक्त सचिव

2/11/16